भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1782

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण अवसंरचना

1782. श्री एम. के. राघवनः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही की उन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिनमें यह बताया गया है कि अपर्याप्त पारेषण अवसंरचना और निष्कर्षण सुविधाओं में देरी के कारण भारत की नई आंरभ की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ग्रिड कटौती की स्थिति का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच (टी-जीएनए) पर निर्भर है जिसके परिणामस्वरूप अधिक सौर उत्पादन के समय के दौरान अधिक कटौती होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पारेषण परियोजनाओं को चालू करने में देरी से नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा निवेशकों का विश्वास कम हुआ है और इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के बावजूद परिहार्य वित्तीय हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशभर में नवीकरणीय ऊर्जा का पूर्ण निष्कर्षण सुनिश्चित करने और ग्रिड कटौती की स्थिति समाप्त करने की समय-सीमा सहित पारेषण अवसंरचना में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के सुसमन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क), (ख) एवं (ग): ग्रिड-इंडिया लिमिटेड के अनुसार, लगभग 21 गीगावाट (GW) परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा (VRE) क्षमता का विद्युत निष्कासन अस्थायी सामान्य नेटवर्क अभिगम (T-GNA) तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें से लगभग 12 गीगावाट क्षमता के विद्युत निष्कासन पर, सौर ऊर्जा उत्पादन के चरम समय के दौरान सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध रहता है। यह प्रतिबंध VRE उत्पादन तथा उनसे संबद्ध पारेषण प्रणालियों के कमीशनिंग में असमानता के कारण है (दिनांक 25.07.2026 की स्थिति के अनुसार)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान VRE उत्पादन तथा उनसे संबद्ध पारेषण प्रणालियों को शुरु करने में असमानता के कारण लगभग 6,900 गीगावाट-घंटा (GWh) प्रतिबंधित थे।

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का पारेषण अवसंरचना के साथ समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु निष्कासन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) संभाव्यता-आधारित पारेषण योजना (Potential-based Transmission Planning) दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों/MNRE द्वारा चिन्हित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, अनुमानित विद्युत मांग वृद्धि तथा भावी उत्पादन परिदृश्यों के आधार पर, औपचारिक ग्रिड कनेक्टिविटी (Connectivity) आवेदन प्राप्त होने से पूर्व ही ट्रांसमिशन कोरिडोर्स की अग्रिम योजना बनाई जाती है।

(ii) पर्याप्त पारेषण प्रणाली के विकास हेतु, संबंधित राज्य पारेषण उपयोगिताओं (STUs) के परामर्श से अनुमानित विद्युत मांग, उत्पादन मिश्रण तथा नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारेषण के लिए संसाधन पर्याप्तता (RA) योजनाएँ भी तैयार की जा रही हैं।

(iii) राज्यों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ-साथ राज्य के भीतर (Intra-State) पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(iv) CTUIL द्वारा उत्पादन एवं पारेषण दोनों प्रकार की परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठकों के माध्यम से की जाती है, जिनमें विद्युत उत्पादक, पारेषण सेवा प्रदाता (TSPs) तथा अन्य हितधारक भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं की प्रारंभिक अवस्था में पहचान एवं समाधान हेतु CTUIL, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
